न्यायालय श्रीमान बोर्ड आफ रेवेन्यू ग्वालियर म.प्र.

591

निगरानी 1213-II-15

फैययाज खान पिता हसन खान
आयु 57 वर्ष
निवासी मिल्लत नगर रतलाम ----प्रार्थी

विरूद्ध

1– असलम खान पिता हसन खान
आयु 50 वर्ष लगभग
निवासी 221, शेरानीपुरा रतलाम

2– हयात खान पिता हसन खान
आयु 58 वर्ष लगभग
निवासी शेरानीपुरा रतलाम म.प्र. ----प्रतिवादीगण

//रिविजन अंतर्गत धारा 50 भू.रा.स.//

मान्यवर महोदय,

में प्रार्थी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय **श्रीमान** तहसीलदार महोदय रतलाम द्वारा राजस्व बंटवारा प्र.कं. 45–अ–27/13–14 मे पारित आदेश दिनांक 22–4–15 से जो कि व्यवहार **न्यायालय मे** वाद पेन्डीग होते हुवे भी बंटवारे की कार्यवाही स्थगित ना करने **से** असंतुष्ट हौकर अन्य आधारो के अतिरिक्त निम्न आधारो पर यह **निगरानी प्रस्तुत** है :–

प्रकरण के संक्षीप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षीप्त तथ्य इस प्रकार है **कि प्रतिप्रार्थीगण** ने प्रार्थी के विरूद्व ग्राम गांगाखेडी **स्थित** कृषिभूमि सर्वे **नंबर** 31, 50 व 114 के बंटवारे बाबत आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस कृषिभूमि के संबध मे और **अन्य** कृषिभूमियो के संबध मे श्रीमान प्रथम व्यवहार न्यायाधीश महोदय **रतलाम के** न्यायालय मे एक दीवानी वाद प्र.कं. 70–ए/13 प्रस्तुत कर रखा **है जिसमे** तीनो के मध्य सभी शामिल परिवार की कृषिभूमियां जिसमे पृथक **से** 20/3 भी है इन सभी का आपसी बंटवारा 25–26 साल पहले हो **चुका** है इस बबात स्वत्व घोषणा का प्रतिदावा भी प्रार्थी ने पेश कर **रखा है** और प्रतिप्रार्थी असलम खान ने दावे संबधी तथ्य छिपाये है आदि **तथ्यो** को दर्शाते हुवे और इसके पश्चात प्रारंभिक आपत्ति भी प्रस्तुत की **गई** और निवेदन किया गया कि दावे के निकाल तक बंटवारे की **कार्यवाही** स्थगित की जावे लेकिन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी **की प्रारंभिक** आपत्ति दिनांक 22–4–15 को निरस्त कर दी जिससे **असंतुष्ट** हौकर निम्न आधारो पर यह निगरानी पेश है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1213-दो/15 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुलकर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	